विस्तृत विज्ञापन

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/रा.न्या.से./सिविल न्या.संवर्ग/2017/1104 दिनांक : 18.11.2017

## सिविल न्यायाधीश संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा, 2017

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत सिविल न्यायाधीश संवर्ग में, परिवीक्षा पर (On Probation) वेतनमान–रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के **35** रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाईन प्रारूप (Online Format) में ऑनलाईन आवेदन (Online Application) आमंत्रित किए जाते हैं।

**विशेष नोटः–**

(1) Online Application भरने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन, Online Application भरने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों (Instructions) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेवे, जो राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in एवं ई–मित्र के पोर्टल http://emitra.gov.in पर उपलब्ध है।

(2) आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

2. **रिक्त पदों एवं आरक्षण का विवरणः–**

| Total No. of posts | Year | General | Reserved | | | Persons with Disabilities (Differetntly Abled) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SC | ST | OBC | |
| 31 | Current vacancies | 18 out of which, 05 posts reserved for women | 4 out of which, 1 post reserved for woman | 3 | 6 out of which, 1 post reserved for woman | Out of 31 vacancies, 1 post for suffering from Hearing Impairment |
| 4 | Backlog | - | 1 (Backlog) | 3 (Backlog) | - | - |

**विशेष नोटः– 1. विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध आवेदन करें।**

**2. भरतपुर और धौलपुर जिले के जाट समुदाय के अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर आरक्षण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक : F.11 (125)/OBC/जाट/R&P/SJED/2016/48825 दिनांक 23.08.2017 के तहत देय होगा।**

**नोटः–**

1. उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञापन/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जायेगा।
2. महिलाओं हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग) की महिला आवेदक चयनित होगी, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसकी वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।
3. निःशक्तजन के आरक्षण के संन्दर्भ मेंः–
   (अ) Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 के अनुसार निःशक्तजन के लिए दर्शाये गये उपरोक्त आरक्षित पद Hearing Impairment अक्षमताओं की प्रकृति वाले आवेदकों के लिये आरक्षित है।
   (ब) निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद का आरक्षण भी दण्डवत (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग/महिला) का निःशक्त आवेदक चयनित होगा, उसे संबंधित श्रेणी (Category), जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जावेगा।

18.11.17

(स) निःशक्तजन की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी निःशक्तता के संबंध में Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 एवं निदेशालय विशेष योग्यजन, राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या एफ16(1)वि.यो./15/7970 दिनांक 16/9/2015 के अनुसार सम्पूर्ण भारतवर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 के अनुसार सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता दर्शाते हुए जारी निःशक्तता प्रमाण–पत्र धारक आवेदक ही निःशक्तजन हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जायेगा।

4. राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
5. महिलाओं एवं निःशक्तजन के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को भी राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
6. विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
7. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जावेगा।
8. सामान्य वर्ग के पदों के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।
9. सेवा में नियुक्ति पर अभ्यर्थियों को नियमानुसार परिवीक्षा काल पर रखा जायेगा।
10. पेंशन–नियमानुसार।

3. **शैक्षणिक योग्यताः–**
   1. कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन इस रूप में मान्य किसी भी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक (व्यावसायिक) की उपाधि धारित ना करता हो।
      (No Candidate shall be eligible for recruitment to the service unless he holds a degree of Bachelor of Laws (Professional) of any University established by Law in India and recognised as such under the Advocates Act, 1961)
   2. प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भाषा तथा राजस्थानी बोलियों एवं सामाजिक रूढ़ियों (रीति–रिवाज) (Rajasthani Dialects and Social Customs of Rajasthan) का पूर्ण (Thorough) ज्ञान रखने वाला होना चाहिए।

***नोटः– विधि स्नातक (व्यावसायिक) अर्थात् LL.B.(Professional) अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है लेकिन उसे मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण (Proof) देना होगा।***

4. **आयुः–**
   आवेदक 1 जनवरी, 2018 को 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो किन्तु 35 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर चुका होना चाहिए; **लेकिनः–**
   1. राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला श्रेणी (Category) के आवेदकों के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा।
   2. राजस्थान राज्य, पंचायत समितियों, जिला परिषदों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
   3. विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के मामलों में ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
      **स्पष्टीकरणः–** विधवा महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र (Death Certificate) प्रस्तुत करना होगा तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे विवाह–विच्छेद (Divorce) का प्रमाण (Proof) प्रस्तुत करना होगा।

5. **परीक्षा शुल्कः–**
   आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क देय होगा :–
   (क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/अन्य राज्य के आवेदक हेतु ₹ 850/–
   (ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु ₹ 550/–

18.11.17